उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H 06352/UPPCB/CL/89/Vol-4/GJB/22-23/24 दिनांक: 01-2-24

सेवा में,

मेसर्स न्यूकान कन्सल्टेन्ट्स एण्ड लैबोरेटरीज,
ए–1/156, सेक्टर–17 (स्वदेशी कम्पाउंड) कवि नगर,
इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद।
मो0–9810430345.

विषयः वायु प्रदूषण अनुश्रवण/जांच सम्बन्धी कार्यो हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–17 (उपधारा–2) के अन्तर्गत प्रयोगशाला को बोर्ड से मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या –एच 92529/सी0एल0/89/voll-4/जी0जे0बी0/2022–23 दिनांक 25.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपकी प्रयोगशाला को बोर्ड के सक्षम अधिकारी की अनुमति से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–17 (उपधारा–2) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण अनुश्रवण/जांच संबंधी कार्यो हेतु सशर्त 02 वर्षो हेतु मान्यता प्रदान की गयी है। बोर्ड द्वारा उक्त पत्र में अधिरोपित शर्तो में से प्रमुख शर्तो की अनुपालन आख्या अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है:–

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विधियों/प्रोटोकाल के अनुसार परिवेशीय वायुगुणता का अनुश्रवण एवं औद्योगिक उत्सर्जन की जांच आदि का कार्य किया जायेगा।
2. यदि किसी प्रयोगशाला द्वारा किसी उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना भी की गयी हो तो उसके स्वयं के प्रयोगशाला द्वारा ऐसे लगाए गए संयंत्र की प्रदूषण नियंत्रण क्षमता की जांच रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। उनकी दूसरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच करानी होगी।
3. प्रयोगशाला द्वारा जिस उद्योग के उत्सर्जन की जांच किया जाना प्रस्तावित हो उसकी तिथि एवं समय की पूर्व सूचना बोर्ड के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय प्रयोगशाला को कम से कम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाले वायु अनुश्रवण/स्टैक अनुश्रवण एवं गैसीय नमूनों के विश्लेषण आदि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा समय–समय पर एनालिटिकल क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्ट कराया जाएगा।
5. प्रयोगशाला द्वारा नमूना एकत्रण विश्लेषण आदि का पूर्ण विवरण सुरक्षित रखा जाएगा एवं बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय जांच हेतु मांगने पर उपलब्ध कराया जाना होगा।
6. प्रयोगशाला के स्थल में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना बोर्ड को दी जानी होगी।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रयोगशाला की प्राप्त मान्यता की वैधता समाप्त होने की दशा, वैधता समाप्त होने की तिथि से 02 माह के अन्दर वैधता का नवीनीकरण करा कर बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में वैधता का नवीनीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी मान्यता को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या दो सप्ताह में बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा में बोर्ड द्वारा आपकी संस्था को दी गये मान्यता को समाप्त किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

(राम गोपाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
केन्द्रीय प्रयोगशाला

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ– 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 – 2720764, 2720676
ई–मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow – 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 – 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com